16/07/25 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील वादी उप०।
दावा वादी स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय शामिल
किया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो।
निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2025/250

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 15:42:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— श्री संदीप कुमार आर. ए.एस.

वाद संख्या 127/2025 GCMS:-2025/250 दायरा दिनांक : 01.05.2025

बोद्वाचार्य सत्यपाल धम्मदीप पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी ढाबां झालार हाल वार्ड नं. 26 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर। — वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधी राजस्थान सरकार भू.धारक तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़। — **प्रतिवादी**

उपस्थिती : एडवोकेट भगवानदत शर्मा — वादी
तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ — प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,209 आर.टी.ए. एंव 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय **दिनांक : 16.07.2025**

पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में विचारण तथ्य पत्रावली इस प्रकार से है कि वादी द्वारा एक घोषणात्मक वाद काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि जमाबंदी सम्वत 2074 ता 77 के चक 20 एल.जी.डब्ल्यू के खाता संख्या पुराना 38 नया 38 के पत्थर नं .30/297 के किला न. 6, 12 ता 16, 17/1 व 25 की 1.8980 है0 में वादी ''सतपाल मेघवाल पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी ढाबां झालार '' की खातेदारी भूमि दस्तावेजी रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है। वर्तमान में उक्त अंकित काश्तकार वादी द्वारा बौद्व धर्म अपना लिया इसी अनुसार नाम परिवर्तन कर लिया है। जिसकी सुचना राजपत्र में प्रकाशित करवाद दी गयी है। आधार कार्ड में भी नाम दुरूस्ती इसी प्रकार से करवा लिया है। राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 77 के चक 20 एल.जी.डब्ल्यू के खाता संख्या पुराना 38 नया 38 के पत्थर नं .30/297 के किला न. 6, 12 ता 16, 17/1 व 25 की 1.8980 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा पर ''सत्यपाल मेघवाल पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी ढाबां झालार '' को कलमजन कर बौद्वाचार्य सत्यपाल धम्मदीप पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी ढाबां झालार हाल वार्ड नं. 26 सूरतगढ़ 1/5 हिस्सा खातेदार घोषित कर इसी अनुसार अंकन जमाबंदी में करने के आदेश तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को प्रदान करने की प्रार्थना की।

वाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया गया। दिनांक 16.06. 2025 को जवाब स्टेट बंद किया गया व पटवारी हल्का द्वारा की गयी रिपोर्ट को जवाब मानकर वादी के साक्ष्य प्राप्त किये। वादी द्वारा इस शपथपत्र पर बयान प्रस्तुत किये उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य जमाबंदी वर्तमान एंव आधार [illegible] प्रदेश अंकित करवाये गये व धर्म परिवर्तन के आधार पर जमाबंदी में [illegible] धर्म परिवर्तन अनुसार नाम अंकित करने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 15:42:52 IST
Reason: SelfAttested

बाद आने साक्ष्य तर्क सुने गये व वादी [illegible] वादपत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी चक 20 एल.जी.डब्ल्यू के खाता संख्या पुराना 38 नया 38 के पत्थर नं .30/297 के किला न. 6, 12 ता 16, 17/1 व 25 की

क्रमशः पेज नं. 02 पर ....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

1.8980 है0 भूमि में 1/5 हिस्सा का खातेदार सत्यपाल मेघवाल पुत्र मनीराम जाति मेघवाल के नाम से दर्ज है। अब उसने धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म अपना लिया है। नया नाम ''बौद्धाचार्य सत्यपाल धम्मदीप पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी ढांबा झालार हाल वार्ड नं. 26 सूरतगढ़'' हो गया है। इसी अनुसार वादी को वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में किये जाने के आदेश बाद स्वीकृति वाद प्रदान करने की प्रार्थना की है। साथ ही पूर्व रिपोर्ट तहसीलदार सूरतगढ़ का अवलोकन करवाया जिसमें नाम दुरूस्ती का समर्थन किया गया है। इसी आधार पर वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की है। राज्य पक्ष द्वारा राज्य हित सुरक्षित रखते हुए वाद में निर्णय की प्रार्थना की है।

पक्षकारान के तर्क सुनने के बाद पूर्ण पत्रावली का तर्को के परिपेक्ष्य में पूर्व अध्ययन जमाबंदी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या नया 38 पुराना 38 में अंकित चक 20 एल.जी. डब्ल्यू के खाता संख्या पुराना 38 नया 38 के पत्थर नं .30/297 के किला न्. 6, 12 ता 16 में 0.253 है0 नहरी, 17/1 में 0.1270 है0 नहरी, व 25 में 0.2530 है0 नहरी कुल 1.8980 है0 नहरी भूमि मे सत्यपाल पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी ढाबां का 1/5 हिस्सा भूमि खातेदार के रूप मे दर्ज है। धर्म परिवर्तन व नाम इसी अनुसार परिवर्तन किये जाने के पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली मे उपलब्ध है जिसमें वादी ने बाद धर्म परिवर्तन अपना नाम बौद्वा चार्य सत्यपाल धम्मदीप पुत्र मनीराम निवासी ढाबां झालार हाल वार्ड नं. 26 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर अंकित है। वादी द्वारा इसी अनुसार शपथपत्र व राजपत्र में नाम परिवर्तन की प्रकाशन फोटो कॉपी प्रस्तुत की है। मौका पर पटवारी रिपोर्ट से उसकी पृष्टि होती है। नाम परिवर्तन में राज्य हित को नुकसान होता हो तो प्रतिवादी द्वारा भी बताया गया। परिणाम स्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्ण रूप से पृष्ट होने के कारण वाद वादी स्वीकार कर जमाबंदी सम्वत 2074 ता 77 के चक 20 एल.जी.डब्ल्यू के खाता संख्या पुराना 38 नया 38 के पत्थर नं .30/297 के किला न्. 6, 12 ता 16 में 0.253 है0 नहरी, 17/1 में 0.1270 है0 नहरी, व 25 में 0.2530 है0 नहरी कुल 1.8980 है0 नहरी भूमि में वादी जो पूर्व में ''सत्यपाल मेघवाल पुत्र मनीराम'' के नाम 1/5 हिस्सा का खातेदार अंकित है, को इस नाम के स्थान पर बोद्वाचार्य सत्यपाल धम्मदीप पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी ढाबां झालार हाल वार्ड नं. 26 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर को चक 20 एल.जी.डब्ल्यू के खाता संख्या पुराना 38 नया 38 के पत्थर नं .30/297 के किला न्. 6, 12 ता 16 में 0.253 है0 नहरी, 17/1 में 0.1270 है0 नहरी, व 25 में 0.2530 है0 नहरी कुल 1.8980 है0 नहरी भूमि में 1/5 हिस्सा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। जमाबंदी उपरोक्त में पूर्व अंकन सत्यपाल मेघवाल पुत्र मनीराम हिस्सा 1/5 जाति मेघवाल निवासी ढाबां खातेदार का नाम कलमजन कर नयी घोषणा ''बोद्वाचार्य [illegible] जाति मेघवाल निवासी ढाबां झालार हाल वार्ड नं. 26 सूरतगढ़'' 1/5 हिस्सा खातेदार उक्त भूमि हेतु अंकित करने के आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ को [illegible] करेगा। वाद स्वीकृति एवं डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है। आदेश खुले आम न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को सरे इज्लास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 15:42:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(ओ.21 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

(बइजलास :– संदीप कुमार आर.ए.एस.)

बोद्वाचार्य सत्यपाल धम्मदीप पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी ढाबां झालार हाल वार्ड नं. 26 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर। **– वादी**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधी राजस्थान सरकार भू.धारक तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़। **– प्रतिवादी**

वाद पत्र धारा 88, 209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 127 दायरा दिनांक 01.05.2025 यह मुकदमा वास्ते इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी **श्री भगवानदत शर्मा** व प्रतिवादी पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

दावा वादी स्वीकार किया जाता है तथा वादाधीन भूमि जमाबंदी सम्वत 2074 ता 77 के चक 20 एल.जी.डब्ल्यू के खाता संख्या पुराना 38 नया 38 के पत्थर नं .30/297 के किला नं. 6, 12 ता 16 में 0.253 है0 नहरी, 17/1 में 0.1270 है0 नहरी, व 25 में 0.2530 है0 नहरी कुल 1.8980 है0 नहरी भूमि में वादी जो पूर्व में ''सत्यपाल मेघवाल पुत्र मनीराम'' के नाम 1/5 हिस्सा का खातेदार अंकित है, को इस नाम के स्थान पर बोद्वाचार्य सत्यपाल धम्मदीप पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी ढाबां झालार हाल वार्ड नं. 26 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर को चक 20 एल.जी.डब्ल्यू के खाता संख्या पुराना 38 नया 38 के पत्थर नं .30/297 के किला नं. 6, 12 ता 16 में 0.253 है0 नहरी, 17/1 में 0.1270 है0 नहरी, व 25 में 0.2530 है0 नहरी कुल 1.8980 है0 नहरी भूमि में 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है व जमाबंदी उपरोक्त में पूर्व अंकन सत्यपाल मेघवाल पुत्र मनीराम हिस्सा 1/5 जाति मेघवाल निवासी ढाबां खातेदार का नाम कलमजन कर नयी घोषणा अनुसार ''बोद्वाचार्य सत्यपाल धम्मदीप पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी ढाबां झालार हाल वार्ड नं. 26 सूरतगढ़'' को 1/5 हिस्सा खातेदार उक्त भूमि हेतु अंकित करने के आदेश दिये जातें है।

नोज -------x------ मुबलिग -------x------ बाबत -------x------ खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह -------x------ फस्दों की पालना -------x------ आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10-07-2025 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 15:42:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)